मैं सबसे पहले आज की चर्चा शुरु करने के लिए श्री राम प्रवेश राय जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बिहार के हित में इस प्रश्न पर चर्चा की शुरुआत की और मैं उन तमाम माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और भाग लेते वक्त मुझको यह प्रतीत हुआ कि सभी माननीय सदस्य बिहार के बारे में बोल रहे थे, दलगत सीमा से ऊपर उठकर अपनी बात रख रहे थे । सभापति महोदय, इसमें कोई मतभेद की गुंजाईश नहीं है । यह सदन गवाह है - अभी २८ तारीख को आदरणीय राष्ट्रपति जी आए थे और उन्होंने विधान मण्डल के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था । बिहार की स्मृद्धि के लिए उन्होंने १० मीशन अपनाने पर जोर दिया था । हमने पूरे सदन की तरफ से, माननीय सदस्यों की तरफ से उनको आश्वस्त किया था कि विकास के मामले में हम सब एकजुट हैं । राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अपनी जगह पर रहेगी लेकिन विकास के मामले में सारा बिहार एकजुट है । सत्ता पक्ष विपक्ष सबों की एक राय है और हम एकजुट होकर, उसके साथ हमने यह भी कहा था कि हम केन्द्र सरकार के साथ सहयोग करते हुए, बिहार की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं, तो इतना पर्याप्त है । श्री रामदेव वर्मा जी बोल रहे थे, तो उनको किसी प्रकार की भ्रान्ति नहीं पालनी चाहिए और मन में कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए । यह प्राप्त करने के लिए, बिहार के विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सब को एकजुट होना होगा और सदन इस बात का गवाह बना है और हम इस भावना को आगे भी जारी रखेंगे । मैं अपनी तरफ से आप सबों को पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ऐसे मसलों पर हम एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे । इसमें पूरे बिहार का भला है और सब बिहार की भलाई का समान लक्ष्य सामने रखकर चल रहे हैं इसलिए चर्चा बहुत उपयोगी हुई है, सार्थक रही है । सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने ढंग से तर्क दिए हैं और इससे एक संयुक्त तर्क उभरकर सामने आता है और यह पहला अवसर नहीं है कि इस सदन में एकजुटता आयी है और इससे पहले भी मैं देख रहा हूँ, पुराने रेकड्र्स को, जिसका उद्धरण भी दिया गया । २००१ में भी और २००२ में भी चर्चा हुई है और लोगों ने एकजुटता प्रगट की है । इसके अलावे हम और बातों की ओर इशारा करना चाहते हैं । एक बार जब बिहार की सरकार ने इस सदन में चर्चा करके प्रस्ताव पारित किया और जब बिहार का शिष्टमंडल गया था, तो सब लोगों ने साथ दिया था । सारे पक्ष के लोग उसमें शामिल हुए थे, तो हमेशा एकजुटता का भी प्रदर्शन होता रहा है, यह कोई पहली बार नहीं है । एक चीज और सब लोगों का ध्यान बिहार के हित के लिए कैसे सदन एकजुट होता है ? शायद ओझल हो गया था इस स्मृति पटल से, जब बिहार में रेलवे जोन बन रहा था, पूर्व मध्य रेवले जोन का कार्यालय हाजीपुर में रखते हुए, उसमें रेलवे

के ५ डिवीजन के शामिल करने का निर्णय हुआ । दानापुर, सोनपुर, समस्तीपुर और उसके साथ-साथ धनबाद और मुगलसराय, तो पश्चिम बंगाल में बड़ा विरोध हुआ था। वहाँ के असेम्बली में बहस हुई थी और वहाँ का सर्वदलीय शिष्टमंडल मुझसे भी आकर मिला था और उन्ही दिनों बिहार की विधान सभा में भी चर्चा हुई थी, दूसरे सदन में भी चर्चा हुई थी और एकजुट होकर सर्वदलीय शिष्टमण्डल यहाँ से भी वहाँ गया था, तो इन चीजों से एकजुटता प्रदर्शित होती है, तो यह सदन एकजुट रहा है और एकजुटता का प्रदर्शन करता रहा है । आज भी इस विषय पर एकजुटता का प्रदर्शन हुआ है और एक बार वैसा अवसर पुनः आया है, जब सब लोगों ने एक स्वर से इस प्रस्ताव का समर्थन किया है । अब हमें विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए ? इसके कई माननीय सदस्यों ने तर्क दिए और सिद्दिकी साहब जब बोल रहे थे, तो ठीक बोल रहे थे । ५ आधार पर विशेष राज्य का दर्जा देने की बात होती रही है, उसमें से कई आधार बिहार में मौजूद हैं । हम सीमावर्ती राज्य हैं । हम बहुत पिछड़े हैं और हमारे अपने कारणों से नहीं अन्तराष्ट्रीय कारणों से बिहार की तबाही हर साल झेलने को हम मजबूर हैं । उसका हल बिहार के पास नहीं है । उसका अन्तराष्ट्रीय समाधान है इसलिए बिहार में यह आम राय है कि इस बात के लिए केन्द्र सरकार पहल करे । केन्द्र सरकारें पहल करती रही हैं । एक बार इस विषय पर भी सर्वदलीय शिष्टमण्डल गया था । हम भी उस शिष्टमण्डल के अंग बने थे, भारत सरकार में मंत्री रहते हुए और हमने उस समय बिहार सरकार के मंत्री से पूछा था कि आप क्या चाहते हैं ? किस विषय पर जोर दें ? जो मुझको बताया गया था, उस विषय पर हमलोगों ने वहाँ रहते हुए जोर डाला था और वह बात हुई थी, उस पर काम आगे आज भी बढ़ रहा है, तो अनेक विषयों पर जो अन्तराष्ट्रीय मसला है, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, तो बाढ़, बाढ़ की विभीषिका को हर साल झेलते हैं, जो बनता है वह बर्बाद हो जाता है । आधारभूत ढांचे में बर्बादी आती है, लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो इस प्रकार से जो पिछड़ापन है, पहले ही जितना पिछड़ापन है, तो एक नहीं अनेक आधार है । अब ११ राज्य है, जिनको यह दर्जा मिला हुआ है । अब बिहार को क्यों नहीं दर्जा मिले ? अब जो अन्तराष्ट्रीय सीमाएं हमारी मिल रही है, नेपाल से वह भले ही खुली सीमा हो लेकिन आज के हालात में सब परिचित है । ऐसा नहीं है कि केन्द्र की सरकार अपरिचित है, उनको भी मालूम है, तो बिहार हर प्रकार की कठिनाईयों को झेल रहा है । भले ही हम पहाड़ी क्षेत्र न हों लेकिन अन्य कारणों से बाढ़ के कारण आवागमन महीनों-महीनों भंग हो जाता है । यातायात के साधन उपलबध नहीं होते हैं, तो वैसी परिस्थिति में बिहार पैरवी करता है कि इसको अलग दृष्टिकोण से देखा जाय और विशेष राज्य के दर्जा की मांग हमलोग क्यों करते हैं ? इसलिए करते हैं कि उसके चलते केन्द्र की कुछ सहायता बढ़ जाती है । जो

असिस्टेंस मिलता है, जो अनुदान के तौर पर जितनी राशि मिलती है, जो अनुपात है, वह बढ़ जाता है । इसके अलावे अगर कोई यहाँ पूंजी लगायेगा, तो कल कारखानों को खोलने के बारे में निर्णय करेगा, तो उसको कई प्रकार के इन्कम टैक्स की रियायतें मिलती है, कई प्रकार की रियायतें मिल जाती हैं । ५ साल के लिए कुछ रियायतें मिलती है, कुछ प्रोडक्शन शुरु होने के बाद के कुछ वर्ष के बाद तक मिलती है, तो इस प्रकार से जो रियायतें मिलती है उसके चलते लोग यहाँ आकृष्ट होते हैं । अपनी पूंजी लगाने के लिए और उसके चलते औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलता है और जब पूंजी लगेगी, तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे । हमारे यहाँ बेरोजगारी सबसे बड़ी पीड़ा है । गरीबी है, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, राष्ट्रीय औसत की तुलना में प्रति व्यक्ति आमदनी के हिसाब से देखें, तो जो राष्ट्रीय औसत है, उसका लगभग एक तिहाई प्रति व्यक्ति आमदनी बिहार में है । लगभग एक तिहाई, तो ऐसी स्थिति में हमारी प्रति व्यक्ति आमदनी कम है । गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, तो जो भी मानक है, जो भी इण्डीकेटर है, विकास के उन सब चीजों के मामले में हम पिछड़े हुए हैं । तो उस हालत में आगे बढ़ाने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि विशेष राज्य का दर्जा दी जाय । अब जो फायदे होते हैं, जो सेंट्रल असिसटेंस जो कुछ भी तय होता है, पूरे देश के लिए राज्यों को देने के लिए, उसमें से ३० प्रतिशत वह विशेष राज्य दर्जा प्राप्त राज्यों के लिए अलग से आवंटित हो जाता है, उसका फायदा हमलोगों को मिलेगा । जैसा हमने कहा कि जो ग्रान्ट के रुप में असिस्टेंस है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, उसका अनुपात बढ़ जाता है। ७० प्रतिशत के वजाय वह ९० प्रतिशत ग्रान्ट हो जायेगा, तो इस प्रकार से कई लाभ होंगें, फिर जैसा हमने कहा कि इन्कम टैकस में छूट मिलेगी । शत प्रतिशत ५ साल तक और इसके बाद ३० प्रतिशत और २५ प्रतिशत, उसके अगले पाँच वर्षों के लिए मिलेगी, इसके चलते ज्यादा निवेश की संभावना बढ़ेगी।

क्रमशः...

फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर जो पूंजीगत निवेश है उस पर राजकोषीय सहायता मिलती है, सबसिडी मिलती है । तो जो पूंजी यहां लगाना चाहेगा उसको अगर १५ परसेंट सबसिडी मिल जायेगी तो उसको अपना कारखाना लगाने के लिए कम लागत आयेगी । तो इस प्रकार से कई रियायतें मिल जाती हैं तो उससे निवेश ज्यादा प्रोत्साहित होता है । हमलोगों ने कई नीतियां बनायी हैं चाहे वह चीनी उद्योग के लिए हो, चाहे संस्थाओं के लिए हो, चाहे अन्य क्षेत्रों के लिए हो और कई जगहों पर हम नीतियां बना रहे हैं । उसका मकसद यही है कि हम यहां ज्यादा से ज्यादा निवेश को आकर्षित कर सकें । और जब निवेश होगा तभी कल कारखाने खुलेंगे, तभी हमारा जो स्टेट का ग्रौस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वह बढ़ेगा । आज हम उस मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं । यहां सब कुछ अधिकतर ज्यादा हिस्सा उसका कृषि का ही है । उद्योग से उसमें बहुत कम योगदान होता है । और अगर इनके पूंजी का निवेश होगा और कारोबार बढ़ेगा तो कुल मिलाकर जो हमारा राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है वह बढ़ेगा और वह जब वह बढ़ेगा तो ओर वह जब बढ़ेगा तो विकास का इंडीकेटर उसके चलते हमको और ज्यादा कई किस्म के लाभ मिल सकते हैं । हमारे यहां साढ़े आठ करोड़ के लगभग लोग हैं, लोगों की कमी नहीं हैं । यहां के लोग उद्यमी हैं, यहां के लोग मेहनती हैं दूसरी जगहों पर जाकर दूसरों के लिए दौलत पैदा करते हैं, अगर यहां सहुलियतें मिलेंगी तो अपने राज्य के लिए दौलत पैदा करेंगे । उनका भी योगदान होगा । तो इस प्रकार से लोगों मानव संसाधन का विकास हमारी यह भी एक बहुत बड़ी पूंजी है कि हमारे पास लोग बहुत हैं और युवा शक्ति हमारे पास है । अगर हम मानव संसाधन का विकास करें तो उनको बेहतर शिक्षा दे करके, उनको हम किसी न किसी प्रकार का हुनर सिखला सकें, स्कील उनको सिखा सकें उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसका प्रबंध कर सकें तो वह और ज्यादा उनकी उत्पादक शक्ति बढ़ेगी और वह योगदान होगा राज्य के आर्थिक उन्नति में उनका योगदान होगा ।खुद वे अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर पायेंगे । तो हर दृष्टिकोण से इतने लोग हैं और इतनी बड़ी आबादी है तो इसके विकास के लिए, इस राज्य के विकास के लिए हम बाकी राज्यों के साथ जो एक कहा जाता है कि प्रतिस्पर्धा में शामिल हो जाइये । अब हम पिछड़ते चले गए ट्रेडीशनली आज नहीं बल्कि जमाने से शुरू से ही इसके एतिहासिक कारण हैं । अब इतना वक्त नहीं कि उन एतिहासिक कारणों पर जायं लेकिन पहले से ही यहां जितनी पूंजी का निवेश होना चाहिए प्रति व्यक्ति जितना योजना के मद में यहां निवेश होना चाहिए था वह नहीं हुआ । उसके आंकड़े उपलब्ध हैं, सबको मालूम है । तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो योजना की राशि निर्धारित होनी चाहिए थी वह नहीं होती रही है राष्ट्रीय औसत से बहुत कम रही है । तो कुल मिलाकर बिहार धीरे धीरे धीरे धीरे पिछड़ता चला गया और इसके लिए जरूरी है कि इसको हेवी डोज जिसको कहते हैं बहुत ज्यादा यहां पर पूंजी के निवेश की जरूरत है दोनो क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्र में भी और निजी क्षेत्र में भी । दोनों क्षेत्रों में पूंजी के निवेश की आवश्यकता है । और जबतक इन दोनों क्षेत्रों से पूंजी का निवेश नहीं होगा तो हम विकास के दौड़ में जो पिछड़ चुके हैं हम फिर दूसरे राज्यों के बराबर नहीं पहुंच पायेंगे । बिजली नहीं है,

बिजली नहीं है, आधारभूत ढांचा नहीं है, तो आखिर यह कहां से होगा, इसमें तो सरकारी निवेश की आवश्यकता है । मुझे खुशी है, केन्द्र का ध्यान जाने लगा है और पिछले कुछ वर्षों से यह स्थिति हुई है । हम एक दूसरे के उपर कुछ आरोप प्रत्यारोप करते हैं जन सभाओं में लेकिन यह हकीकत है कि एन०डी०ए०सरकार में जब केन्द्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार थी तो वहां के उनलोगों ने भी ध्यान दिया । आज भी कुछ चीजें चल रही हैं । लेकिन हम सब लोगों को ध्यान देना होगा । इस सदन से सर्वसम्मति से पैकेज की बात आयी, हमलोग भी वहां पर थे । जो बिहार के पर्नगठन का विधेयक था उसमें ही हमलागों की पहल से जोर दिया गया था कि बिहार का जो नुकसान होगा इसकी भरपाई के लिए और ज्यादा यहां पर पूंजी लगानी पड़ेगी और ज्यादा धन देना पड़ेगा और ज्यादा डिभोल्युशन की जरूरत पड़ेगी उसके लिए योजना आयोग में एक अलग सेल होगा ।

इसके लिए योजना आयोग का अलग सेल होगा योजना आयोग के उपाध्यक्ष की सीधी देखरेख में और वह बना था और उसी का परिणाम था कि हजार करोड़ रूपया प्रति वर्ष राष्ट्रीय सम योजना के तहत वह पैकेज दिया गया । केन्द्र सरकार ने भी बहुत निवेश किया था, एक क्षेत्र में , २ हजार कि०मी० बिहार की सड़कों को राष्ट्रीय राज मार्ग में परिवर्तित किया गया था । एन०टी०पी०सी० ने यहां पर कहलगांव का एक्सपैंशन करना शुरू किया,काम चल रहा है , बाढ़ में दो हजार मेगावाट का एन०टी०पी०सी० का अपना विद्युत उत्पादन की इकाई लगना प्रारंभ हो गया । रेलवे के क्षेत्र में बहुत पूंजी का निवेश हुआ । चार जो महासेतु पूरे देश के लिए मंजूर हुआ, उसमें तीन बिहार के लिए -- पटना में गंगा नदी पर, मुंगेर में गंगा नदी पर, निर्मली में कोशी नदी पर ये सारी मंजूरियां दी गयी । कृषि के क्षेत्र में आई०सी०ए०आर० का रीजनल कम्पलैक्स लगभग बन कर तैयार है , लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र , मखाना पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, ये सब काम किये गये थे सरकारी क्षेत्र के जरिये यानि इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में और दूसरे अन्य क्षेत्रों में -- स्मरण के आधार पर हरेक चीजों को दुहराना मुश्किल होगा , तो इस प्रकार से कार्य प्रारंभ हुआ । हजार करोड़ रूपया प्रति वर्ष के हिसाब राष्ट्रीय सम योजना के अन्तर्गत राशि दी गयी और उससे काम शुरू हो गया है, चाहे सब ट्रांसमिशन के लिए हो या गंडक के नहर प्रणाली के जीर्णोद्धार के लिए हो या राज्य के सड़कों के लिए हो कई क्षेत्रों में वह धन दिया गया । ये सब कुछ किया गया लेकिन एक समस्या आ रही है , अब नया पंचवर्षीय योजना शुरू होगी अंतिम साल है पंचवर्षीय योजना का और वर्त्तमान केन्द्रीय सरकार का निर्णय हो गया कि हम राष्ट्रीय सम विकास योजना को समाप्त करेंगे और राष्ट्रीय सम विकास योजना के माध्यम से बिहार को पैकेज मिल रहा था, हमने योजना आयोग से गुहार लगाया है , प्रधानमंत्री से मिलकर हमने कहा है कि या तो राष्ट्रीय सम विकास योजना को अगले पंचवर्षीय योजना तक जारी रखिये ताकि हजार करोड़ रूपया प्रतिवर्ष के हिसाब से उस पैकेज के अन्तर्गत बिजली, सड़क इन क्षेत्रों में मिले या ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना में इसको कहीं अन्य किसी प्रकार से कम्पनसेट कर दीजिये । चार हजार करोड़ रूपया इस पंचवर्षीय योजना का चार वर्ष का जो हिस्सा होता है राष्ट्रीय सम विकास योजना का जो मंजूर हो गया है ढाई हजार करोड़, अभी तक मंजूरी योजना आयोग ने डेढ़ हजार करोड़ के करीब की नहीं दी है उसको भी आप एडजस्ट कर दें । यह मैंने आग्रह किया है ।तो इन सब विषयों पर जो मिला है, वह मिल जाये , उसके लिए भी हम सभी को मिलजुलकर पहल करना होगा । आपके प्रतिनिधि के नाते हर स्तर पर तत्काल और त्वरित गति से हमने बातों को रखी है और लिखित तौर पर इन बातों को पहुंचाया है तो इस प्रकार से बहुत कुछ किये जाने की जरूरत है और बिहार को जबतक विशेष राज्य का दर्जा देकर हम अन्य क्षेत्रों में और मदद प्राप्त न कर लें मेरी समझ से बाकी राज्यों की श्रेणी में इसे लाकर खड़ा करने में कठिनाई होगी । राष्ट्रपति जी ने आवाहन किया और हमलोगों ने स्वीकार किया कि वर्ष २०१५ तक बिहार को विकसित राज्य बनाना है , २०१५ तक बिहार को विकसित राज्य बनाना है, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पूंजी का निवेश होगा । इन्होंने यहां पर अपना जो प्रजेन्टेशन दिया और लिखित पुस्तिका के रूप में सभी माननीय सदस्यों के पास उपलब्ध होगा उसको आपने देखा होगा उन्होंने लक्ष्य कहा है,ऐसा हो सकता है , चार साल के अंदर कृषि का उत्पादन कितना बढ़ सकता है और अन्य क्षेत्रों में कितनी प्रगति हो सकती है, इसका इन्होंने आकलन करने की भी कोशिश की है । यह सब कुछ करने के लिए और ज्यादा सहयोग की जरूरत पड़ेगी । इसके लिए जरूरी है हमलोगों की एकजुटता । अगर हमलोग एक जुट रहेंगे तो वह सहयोग जरूर मिलेगा क्योंकि आदरणीय राष्ट्रपति जी ने कई बार कहा है कि देश के विकास के लिए बिहार का विकास जरूरी है और हमलोगों ने भी इस बात को दुहराया है अनेक बार । तो देश का विकास होना है, २०२० तक विकसित राष्ट्र बनना है तो बिहार अविकसित रहेगा तो देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा नहीं हो सकता है । इसलिए सभी के इंट्रेस्ट में

समस्त राष्ट्र के हित में , सारे लोगों के हित में जो नीति निर्धारण करते हैं, जो कारोबार करते हैं , न सिर्फ पॉलिसी मेकरर्स के बारे में यह जरूरी है बल्कि जो अपना कारोबार करते हैं पूंजी लगाते हैं, बड़े-बड़े उद्योगपति हैं उन सबों को इस बात को समझ लेना चाहिए । नीति निर्धारित करने वालों से लेकर कारोबार करनेवाले तमाम लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि बिहार का विकास नहीं होगा तो देश का विकास संभव नहीं होगा । इसलिए बिहार के विकास के लिए सब को ध्यान देना पड़ेगा । जहां विशेष राज्य के दर्जा की मांग करते हैं और उसकी सिफारिश इस सदन करे , इस प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं । इस बात की जरूरत है कि बाकी लोगों का ध्यान जायेगा । बिहार में तो बहुत गुंजाइश है ।

क्रमशः

और बाकी लोगों का ध्यान जायेगा और बिहार में तो बहुत गुंजाईश है। साढ़े ८करोड़ लोग रहते हैं, उनकी जरूरते हैं। अगर यहां कोई पूंजी लगायेगा, उत्पादन करेगा तो लाभ उनको होगा। इसीलिए मैंने कहा कि इन दिनों कई जगहों पर जो उद्योग संगठन है वह बुलाते हैं, तीन प्रतिष्ठित उद्योग और व्यापार के संगठन हैं सबसे पहले एच०एम० ने बुलाया, फिर पटना में पूर्वी क्षेत्र का सी०आई०आई० का सेमीनार हुआ बिहार के विकास पर, ८तारीख को हम जानेवाले हैं, फिक्की के लोगों ने बुलाया है। मैं उन सब जगहों पर कहा कि बिहार कोई दया का पात्र नहीं है, बिहार में अपार क्षमता है, अपार संभावनायें हैं, आप आईये, अभी देश के विकास के लिए जरूरी है और हमने कहा कि आप कोई चैरिटी का काम करने के लिए नहीं जायेंगे कहीं, हमको मालूम है उद्योग जगत से कमा करके कुछ लोग चैरिटी का काम थोड़ा बहुत करते हैं लेकिन अपना उद्योग धंधा लोग चैरिटी के तौर पर नहीं लगाते हैं। उनको भी मालूम है, उनका भी फैलाव होगा, उनका भी सुमार देश के धनी लोगों में होगा, उनको भी लोग जानेंगे, वे तरक्की करेंगे, देश की तरक्की में वे भी अपने ढंग से योगदान करते हैं। यहां जब हम किसी को कहते हैं कि आईये आपके लिए वातावरण है, नीतियां अनुकूल हैं, अगर सुरक्षा की बात है तो हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, इस्ट वेस्ट कोरीडोर का काम शुरू हुआ तो लोगों को आशंकायें थी हमने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगा तो केन्द्रीय बल हम लेंगे, केन्द्र सरकार से और उसके लिए पैसा चुकता करेंगे। लेकिन सुरक्षा का प्रबंध करेंगे। इसका अच्छा संदेश गया। तो चोरो तरफ से लोग आयें, पूंजी लगायें, सुरक्षा का भी प्रबंध होगा और जो भी नीतियों के सहयोग की जरूरत है, हमारे पास बिजली का उत्पादन नहीं है, हम तो बिजली खरीद करके आपूर्ति करेंगे, आज की स्थिति तो यही है। अगर यहां कोई कल-कारखाना लगाने के लिए आयेगा तो उनके लिए बिजली खरीद करके यहां उनको आपूर्ति करेंगे। लेकिन बिजली की आपूर्ति होगी सड़कों का निर्माण होगा। आपने बजट पास किया है, राज्य सरकार के मद में सड़कों के क्षेत्र में चाहे पथ निर्माण का हो या ग्रामीण विकास विभाग की सड़कें हों कुल मिला कर लगभग दो हजार करोड़ रूपया निवेश होगा इस राज्य का। केन्द्र की तरफ से इस्ट वेस्ट कोरीडोर या शेरशाह सूरी मार्ग या प्रधानमंत्री ग्राम योजना में जो खर्च किया जायेगा उस को छोड़ करके, राज्य के मद में यह पैसा खर्च होगा। तो हमलोग सरकारी क्षेत्र में भी निवेश कर रहे हैं। अगर किसी को कहते हैं कि आईये यहां और पूंजी लगाईये तो पहले हम सरकारी क्षेत्र में निवेश कर रहे हें और केन्द्र सरकार से आग्रह कर रहे है और केन्द्र सरकार से भी अनुरोध कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पूंजी दीजिये , योजना का आकार बढ़ा। हालांकि सरकार को पहले से ज्यादा केन्द्रीय सहायता नहीं बढ़ी, यह भ्रम नहीं पालना चाहिए। राज्य को ही इंतजाम करना है। जो कुछ भी थोड़ा बढ़ा है लेकिन उनकी मंजूरी के बगैर हम इतना बड़ा आकार नहीं बढ़ा सकते हैं। उन्होंने यह महसूस किया कि आकार बढ़ना चाहिए। वह हमारे निष्पादन को देखेंगे, हमारे परफौरमेंस को देखेंगे, इस साल अगर परफौरमेंस अच्छा रहा तो नये पंचवर्षीय योजना में हमें उसका ज्यादा लाभ मिलेगा। तो यह सब तो काम हमलोग कर रहे हैं (थपथपी)

लेकिन इतना से काम चलनेवाला नहीं है। बिहार में हर संभावना है, वह हर आधार मौजूद है जो बिहार में होना चाहिए और जिसके बारे में हमारे कतिपय माननीय सदस्यों ने चर्चायें की है ।पोपुलेशन डेनसिटी ज्यादा है हम तो आंकड़ा देख रहे थे। पोपुलेशन डेनसिटी, जनसंख्या घनत्व प्रतिवर्ग किलोमीटर राष्ट्रीय औसत है ३२४ और बिहार का औसत है ८८०, अगर यहां ज्यादा से ज्यादा पूंजी नहीं लगेगी, ज्यादा से ज्यादा सहायता नहीं मिलेगी तो सबसे ज्यादा घनत्व वाला प्रदेश हो गया है। बिहार बंट गया, झारखंड चला गया, ४५ प्रतिशत हिस्सा और २५ प्रतिशत आबादी। हमारे पास ज्यादा आबादी और अब इसलिए जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से यह स्थिति है। तो इससे अधिक क्या दूसरा आधार बन सकता है। प्रति व्यक्ति आय और सब चीजों की चर्चा हो गयी।

क्रमशः

)(क्रमशः)एक बहुत बड़ा आधार है कि जनसंख्या धनत्व हमारा ज्यादा है।आप कहियेगा कि जनसंख्या पर नियंत्रण कीजिये,नियंत्रण हो रहा है, धीरे-धीरे परिवार कल्याण की ओर लोग रूचि ले रहे है,इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे है, उसको नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे लेकिन जो धरती पर आ गया है, उसका इंतजाम तो करना होगा। अगर इंतजाम नही किया तो फिर यह सिरदर्द बनेगा।अगर केन्द्र में नीति निर्धारित करने वाले कुछ लोग यह सोच ले कि ज्यादा आवादी आपकी है, आपने ज्यादा बच्चे पैदा किये तो आप रखिये, अगर ये सोचेंगे तो ये बच्चे कोई बिहार की सीमा में नही रहेंगे।यह आजादी है, ये देश से कोने-कोने में जायेंगे, इसलिए यहां जनसंख्या का जो घनत्व है मेरी दृष्टिकोण से वह भी एक ऐसा महत्वपूर्ण आधार है जिसके आधार पर इस काम को करना चाहिए इसलिए माननीय सदस्यों ने जो चर्चा में हिस्सा लिया मै उसको कंक्लूड करना चाहता हूँ, सब लोगों की राय एक है, हम सब लोगों को मिलकर इसके लिए पहल करनी होगी और नये सिरे से एक बार फिर पहल करनी होगी, पहले भी जो हमने एकजुटता दिखलायी है तो उस एकजुटता का प्रदर्शन फिर से करना पड़ेगा इसलिए मै इस पूरी चर्चा के समापन के समय, मै आपकी इजाजत से यह प्रस्ताव रखना चाहता हूँ, पूरे सदन के समक्ष, जो चर्चा आयी है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के संबंध में विमर्श हुआ, जिसके परिप्रेक्ष्य मे मै प्रस्ताव करता हूँ कि

यह सभा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे।

सभापति(श्री भोला सिह)प्रश्न यह है कि

यह सभा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे।

यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

सभापति(श्री भोला सिह) सदन की राय से आज के लिए जो नियत कार्यक्रम है उसके निष्पादन होने तक समय बढ़ाया जाय।

सभा की सहमति हुई।

,आज जो चर्चा हुई और सदन से प्रस्ताव पारित हुआ, अब इस प्रस्ताव के पक्ष में तर्कपूर्ण दस्तावेज तैयार कर के, मै समझता हूँ कि एक सर्वदलीय शिष्टमंडल दिल्ली जाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करे और उनको ज्ञापन दे तो इस बात मे और गति प्रदान होगी। हमने यह निर्णय लिया है और इसके लिए सरकार की तरफ से सब कुछ सारा प्रबंध किया जायेगा और सभी दल के नेताओं से बातचीत कर के और माननीय प्रधानमंत्री जी की उपलब्धता जानकर के, इसके बारे में एक तिथि नियत होगी और उसके आधार पर जब सब लोगों ने इसका मेज थपथपाकर के स्वागत किया तो हम मानते है, आपका निर्देश होगा कि सरकार इसमें पहल करने के लिए आगे बढ़े।

माननीय सदस्यगण,आज सदन के प्रारंभ होने के समय सदन के माननीय सदस्यों ने जो कल अपराध निरोध के सिलसिले में डी0एस0पी0 श्री अखिलेश प्रसाद की अपराधियों के साथ मुठभेड़ में जो उनकी शहादत हुई है, उस पर सदन ने चिंता प्रकट की थी इस पर आसन ने कहा था कि यह मामला पक्ष और विपक्ष का नहीं है, चिंतन का विषय है, सरकार निश्चित रूप से सदन को विश्वास में लेगी।सरकार की ओर से इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी वक्तव्य दे रहे है।